04 मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना

4.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

4.2 परवरिश योजना

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना

1. उद्देश्यः

इस छत्र योजना का उद्देश्य अनिवार्य सेवाओं यथा आपातकालीन पहुँच, संस्थागत देखभाल, परिवार एवं समुदाय आधारित देखभाल, परामर्श एवं समर्थन सेवाओं को राज्य एवं जिला स्तरों पर स्थापित करना तथा बाल अधिकार एवं संरक्षण विषय पर आमजनों को जागरूक करना तथा सभी मौजूदा बाल संरक्षण सेवाओं, योजनाओं और हर स्तर की संरचनाओं की जानकारी देना तथा अनाथ, बेसहारा, दु:साध्य रोगों से पीड़ित बच्चों तथा इन दु:साध्य रोगों से पीड़ित माता–पिता के बच्चों के पालन पोषण के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। साथ ही बाल संरक्षण सेवाओं के प्रभावी कार्यान्वयन एवं निगरानी के लिए एम.आई.एस. और बाल ट्रैकिंग प्रणाली सहित बाल संरक्षण आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली की प्रक्रिया का सृजन करना तथा कार्य करने के सभी स्तरों पर प्रशासकों तथा सेवा प्रदाताओं सहित पदाधिकारियों, जिनमें स्थानीय निकायों, पुलिस, न्यायपालिका और अन्य को आई.सी.पी.एस. के तहत दायित्व लेने के लिए प्रशिक्षण देकर क्षमताएँ बढ़ाना है।

2. छत्र–योजना का विवरण :

इस छत्र–योजना के अन्तर्गत निम्नांकित योजनाएँ क्रियान्वित की जायेगी:

2.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

(i) **राज्य बाल संरक्षण समिति एवं राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण :** इस योजना के अन्तर्गत सभी घटकों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा किया जायेगा एवं दत्तक ग्रहण सहित सभी गैर सांस्थानिक देखभाल से संबंधित सभी योजना घटकों की स्थापना, संचालन तथा अनुश्रवण राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(ii) **जिला बाल संरक्षण इकाई तथा अनुश्रवण एवं निगरानी समितियाँ :** जिला स्तर पर इस छत्र योजना के अन्तर्गत सभी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई मूलभूत इकाई के रूप में कार्य करेगी एवं जिलों में जिला परिषद की अध्यक्षता तथा जिला पदाधिकारी की सह अध्यक्षता में योजना के अनुश्रवण हेतु

Scanned by CarbonScanner

जिला बाल संरक्षण कमिटी तथा सभी प्रखण्ड, ग्राम पंचायत एवं वार्ड में भी बाल संरक्षण के विभिन्न मुद्दों पर निषेधात्मक कार्रवाई करने हेतु बाल संरक्षण समितियाँ गठित की जायेगी।

(iii) **बाल देखरेख संस्थान का संचालन:** किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (18 से कम आयु वर्ग) हेतु जिलों में बाल गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान एवं खुला आश्रय का संचालन किया जायेगा एवं विधि विवादित बच्चों हेतु पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह एवं सुरक्षित संस्थान का संचालन किया जायेगा।

(iv) **गैर सांस्थानिक कार्यक्रम:** दत्तक ग्रहण, क्रेडल बेबी रिसेप्शन सेन्टर, प्रायोजन एवं पालन–पोषण देखभाल तथा उत्तर रक्षा कार्यक्रम का संचालन एवं अनुश्रवण किया जायेगा।

(v) किशोर न्याय परिषद, बाल कल्याण समिति, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं चाईल्ड लाइन कार्यरत है। सभी जिलों में विधि विवादित बच्चों के मामलों में संज्ञान लेने हेतु किशोर न्याय परिषद तथा देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु बाल कल्याण समिति का गठन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने, हिंसा, दुर्व्यवहार आदि से बचाने तथा बच्चों से संबंधित मामलों में जाँच करने के लिए सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस का गठन किया जायेगा एवं विषम परिस्थिति में पाये जाने वाले बच्चों की सहायता हेतु आपातकालीन सेवा चाईल्ड लाइन (टॉल फ्री नं. 1098) संचालित की जायेगी।

2.2 परवरिश योजना

अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दु:साध्य रोग से पीड़ित (एच.आई.वी./एड्स एवं कुष्ठ) बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता–पिता के संतान के बेहतर पालन–पोषण हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जायेगा।

3. निधि का संवितरण

निधि का संवितरण निम्नवत किया जायेगा:

3.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण इकाई, सरकार द्वारा संचालित पर्यवेक्षण/विशेष/बाल गृह/सुरक्षित स्थान का संधारण एवं पर्यवेक्षण/बाल गृह का निर्माण मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60:40 प्रतिशत एवं किशोर न्याय परिषद्/बाल कल्याण समिति मद में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 35:65 प्रतिशत तथा स्वयंसेवी संस्थान द्वारा संचालित बाल गृह/दत्तक ग्रहण संस्थान/खुला आश्रयों के संधारण मद में केन्द्रांश, राज्यांश एवं स्वयंसेवी संस्थान का अंशदान 60:30:10 प्रतिशत होगा।

3.2 परवरिश योजना

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में आर.टी.जी.एस. के माध्यम से राशि हस्तांतरित किया जायेगा। संपूर्ण राशि का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जायेगा।

4. देय राशि

देय राशि का भुगतान निम्नवत किया जायेगा :

4.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

(i) इसके अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले/अनाथ/

Scanned by CarbonScanner

अभ्यर्पित/परित्यक्ता बच्चों को बाल गृह/खुला आश्रय एवं विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (0–6 वर्ष) में आवासित एवं विधि विवादित बच्चे को पर्यवेक्षण गृह में आवासित किया जाता है, जहाँ बच्चों के अनुरक्षण मद में रू. 2,000 प्रतिमाह की दर से व्यय किया जायेगा तथा प्रयोजन एवं पालन पोषण देखभाल तथा उत्तर रक्षा कार्यक्रम अंतर्गत आच्छादित लाभान्वितों हेतु रू. 2,000 प्रतिमाह की दर से राशि दी जाती है। उक्त मदों में केन्द्र सरकार के द्वारा समय–समय पर यथा संशोधित दर लागू होगा।

(ii) इसके अतिरिक्त किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 एवं बिहार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) नियमावली, 2017 में निहित प्रावधानों के आलोक में किशोर न्याय परिषद् अथवा बाल कल्याण समिति के आदेशानुसार विभिन्न सेवाओं का लाभ दिया जायेगा।

4.2 परवरिश

इस योजना अंतर्गत आच्छादित बच्चों का अभिभावक के साथ खोले गये संयुक्त खाता में 0–18 वर्ष के बच्चों हेतु रू. 1,000 प्रतिमाह की दर से राशि दी जाती है।

5. पात्रता

इस छत्र–योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए पात्रता निम्नवत होगी :

5.1 समेकित बाल संरक्षण योजना

किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले/अनाथ/अभ्यर्पित/परित्यक्त बच्चे एवं विधि विवादित बच्चे। इस योजना के तहत कार्यरत गैर सरकारी संस्थान की न्यूनतम अर्हता समय–समय पर आमंत्रित निविदा की शर्तों के अनुरूप होगी तथा बिहार सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का अनुपालन नियोक्ता को करना होगा। साथ ही नियोक्ता और नियोजित आपस में किसी प्रकार का समरक्त अथवा दाम्पत्य का रिश्ता नहीं होगा एवं विधवाओं को नियोजन में प्राथमिकता देनी होगी।

5.2 परवरिश योजना

0–18 वर्ष आयु वर्ग के निम्न श्रेणी के बच्चों के लिए इस योजना का लाभ एक वर्ष के लिए देय होगा परन्तु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीकरण हो सकेगा बशर्ते कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त न हो:

(i) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हों, जिनकी वार्षिक आय रू. 60,000 से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ii) वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा बच्चे माने जायेंगे जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण से अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे के परवरिश करने में असमर्थ हो गए हों परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(iii) एच.आई.वी.(+)/एड्स या Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोग से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

6. प्रक्रिया

इस छत्र–योजना अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए निर्धारित प्रक्रिया निम्नवत होगी:

Scanned by CarbonScanner

6.1 आवेदन की प्रक्रिया :

(i) समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत विहित प्रपत्र में आवेदक स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से संबंधित बाल कल्याण समिति अथवा जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार आवेदन दे सकते हैं।

(ii) परवरिश योजना के तहत विहित प्रपत्र में आवेदन सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय, समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय, आँगनबाड़ी केन्द्रों में से कहीं भी अपनी सुविधानुसार दे सकते हैं। आँगनबाड़ी सेविका, आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर जाँच कर अपने मंतव्य के साथ बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जमा करेंगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन–पत्र एक सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृत्यादेश प्राप्ति हेतु अग्रसारित करेंगे जो अपनी स्वीकृत्यादेश के साथ सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को प्रेषित करेंगे।

(iii) परवरिश योजनान्तर्गत नवीकरण की सूचना अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक मामले में अनुदान की अवधि समाप्ति के कम से कम 15 दिन पूर्व दी जाएगी।

6.2 धनराशि वितरण की प्रक्रिया

(i) इस छत्र–योजना अंतर्गत एक ही बैंक में योजनावार पृथक बैंक खाता हो सकेगा परन्तु सभी खातों के लिए बैंक में एक common customer-id होगा जिससे इस छत्र–योजनाधीन सभी बैंक खाता संबद्ध (linked) होंगे।

(ii) योजनावार बैंक खाता (Parent Account) का संचालन राज्य बाल संरक्षण समिति अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित किसी अन्य संस्थान / कार्यालय / निदेशालय के माध्यम से किया जायेगा।

(iii) धनराशि का वितरण Parent-Child Account पद्धति के अनुसार जिला कार्यालय द्वारा अपने Child Account से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार ऐसा बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अधिसूचित व्यावसायिक बैंक में भी खोला जा सकेगा।

6.3 उपयोगिता प्रमाण–पत्र की प्रक्रिया

जिला स्तर पर कार्यरत विभिन्न इकाईयों से योजना अन्तर्गत व्यय से संबंधित उपयोगिता प्रमाण–पत्र राज्य बाल संरक्षण समिति द्वारा प्राप्त कर समाज कल्याण निदेशालय के माध्यम से विभागीय अनुमोदनोपरांत महालेखाकार को समायोजन के लिए भेजा जायेगा।

6.4 अनुश्रवण की प्रक्रिया

इस छत्र योजना के अनुश्रवण के लिए जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण कमिटी की त्रैमासिक बैठक तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटकों के संचालन के प्रगति की समीक्षा की जाती है। साथ ही वार्षिक कार्ययोजना एवं मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तथा समेकित एम.आई.एस. पर मासिक प्रतिवेदन के आधार पर अनुश्रवण की जाती है।

7. शिकायत निवारण एवं एस्केलेशन मैट्रिक्स

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2016 के अंतर्गत अनुमंडल स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी तथा जिला स्तर पर जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का कार्यालय कार्यरत है जहाँ इस छत्र–योजना अंतर्गत विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायत और अपील दायर की जा सकती है और निश्चित समय सीमा के अंदर समाधान प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त शिकायत जिला

Scanned by CarbonScanner

बाल संरक्षण इकाई में दर्ज की जा सकती है। जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय से शिकायत का निपटारा नहीं होने की स्थिति में परियोजना निदेशक, राज्य बाल संरक्षण समिति, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग के कार्यालय में शिकायत दर्ज की जा सकती है।

अधिसूचना संख्याः 03 / यो.–03 / 2019 / 5721 पटना, दिनांक : 27 / 11 / 2017

बिहार राज्यपाल के आदेश से
संयुक्त सचिव

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना के अन्य तथ्य:

1. परवरिश योजना

1.1 **उद्देश्य:** यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य राज्य सरकार द्वारा बच्चों के देखरेख एवं संरक्षण के गैर–सांस्थानिक कार्यक्रम के अन्तर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों, दुःसाध्य रोग से पीड़ित/एच.आई.वी./एड्स एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चों एवं इन रोगों के कारण दिव्यांगता के शिकार माता–पिता के संतान के बेहतर पालन–पोषण एवं उनके गैर–सांस्थानिक देखरेख को प्रोत्साहित करने हेतु अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है।

1.2 **लक्षित समूह एवं पात्रता/अर्हता:** 0–18 वर्ष आयु वर्ग के निम्न श्रेणी के बच्चे इस योजना के लाभ के पात्र होंगे:

(i) (क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा (ख) अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं, जिनकी वार्षिक आय रू. 60,000 से कम हो अथवा गरीबी रेखा के अधीन हो।

(ii) वैसे बच्चे भी अनाथ एवं बेसहारा माने जायेंगे, जिनके माता एवं पिता की या तो मृत्यु हो गयी हो या मानसिक दिव्यांगता या कारावास में बंदी होने के कारण, अथवा किसी अन्य न्यायिक आदेश से वे अपने बच्चे की परवरिश करने में असमर्थ हों परन्तु ऐसी बाध्यकारी परिस्थिति के समाप्त हो जाने पर उनकी पात्रता भी स्वतः समाप्त हो जाएगी।

(iii) एच.आई.वी.(+)/एड्स/Visible deformities grade-II के कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा इन रोगों से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

1.3 **अनुदान की राशि:** इस योजना के अन्तर्गत चयनित बच्चों को पालन–पोषण हेतु अनुदान राशि रू. 1,000 प्रतिमाह देय होगा। योजना का लाभ प्रतिमाह लाभुकों एवं अभिभावक के नाम से खोले गये संयुक्त बचत खाता में सीधे हस्तनांतरित किया जाएगा।

1.4 **योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदक:**

I- अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे की स्थिति में बच्चे के पालक परिवार का मुख्य व्यक्ति।

II- स्वयं एच.आई.वी.(+)/ एड्स/ कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स पीड़ित माता/पिता अथवा कुष्ठ रोग grade-II से पीड़ित माता/पिता की स्थिति में बच्चे के माता या पिता।

1.5 **लाभुकों के चयन की प्रक्रिया:**

I- इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदन–पत्र सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय/समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय/आँगनबाड़ी केन्द्रों से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। आवेदन–पत्र समाज कल्याण विभाग के वेबसाइट: www.socialwelfare.bih.nic.in पर भी उपलब्ध है।

II- आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन–पत्र भरकर एवं आवश्यक कागजात संलग्न कर संबंधित क्षेत्र की आँगनबाड़ी सेविका को उपलब्ध करायेंगे। एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित माता/पिता के मामले में आवेदक अपना आवेदन विहित प्रपत्र में आवश्यक कागजात संलग्न कर समेकित बाल विकास परियोजना के कार्यालय में जमा करेंगे। इसकी जाँच बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को स्वयं करनी है। इस मामले में आँगनबाड़ी सेविका का मंतव्य आवश्यक नही है। आवेदन–पत्र की प्राप्ति रसीद आँगनबाड़ी सेविका/बाल विकास परियोजना कार्यालय से प्राप्त करेंगे।

Scanned by CarbonScanner

III- आँगनबाड़ी सेविका, आवेदक द्वारा आवेदन देने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर जाँचोपरांत अपने मंतव्य के साथ कि "प्राप्त आवेदन में अंकित सूचनाएँ मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं जाँच के अनुरूप सही है/नहीं है तथा आवेदक परवरिश योजना का लाभ पाने की अर्हता रखता है/नहीं रखता है", बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। आँगनबाड़ी सेविकाओं को इस कार्य हेतु 50 (पचास) रूपये प्रति लाभुक की दर से प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाएगा, जो कि 1 (एक) प्रतिशत प्रशासनिक मद में सम्मिलित होगा।

IV- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आवेदन–पत्र एक सप्ताह के भीतर अनुमंडल पदाधिकारी को स्वीकृत्यादेश प्राप्ति हेतु अग्रसारित करेंगे। अनुमण्डल पदाधिकारी स्वीकृत्यादेश प्रपत्र–II (आवेदन–पत्र सहित) का अग्रसारण सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई को करेंगे।

1.6 **भुगतान की प्रक्रिया:** स्वीकृति आदेश के आलोक में सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी से लाभुकों के खाता विवरणी प्राप्त कर, लाभार्थी एवं अभिभावक के संयुक्त खाते में राशि का अंतरण सुनिश्चित करेंगे।

1.7 **योजना का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण:** इस योजना का अनुश्रवण जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित जिला बाल संरक्षण समिति की त्रैमासिक बैठक, सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई तथा मुख्यालय स्तर पर निदेशक, समाज कल्याण–सह–उपाध्यक्ष, राज्य बाल संरक्षण समिति के स्तर से जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारियों के साथ मासिक समीक्षा बैठक में कार्यक्रम घटकों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की जाती है।

1.8 **अनुदान का नवीकरण:** इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी की आरंभिक अनुदान स्वीकृति मात्र 12 माह के लिए होगी, परन्तु बच्चे की आयु 18 वर्ष होने तक इसका प्रत्येक वर्ष स्वतः नवीकरण हो सकेगा, बशर्ते की कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त न हो।

1.9 **आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करने वाले दस्तावेज:**

I- बी.पी.एल. की प्रकाशित सूची के संगत अंश की छायाप्रति। यदि आवेदक का बी.पी.एल. सूची में नाम ना हो तो सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत आय प्रमाण–पत्र की छायाप्रति (जिन मामलों में बी.पी.एल. या आयु सीमा आवश्यक न हो को छोड़कर)।

II- अनाथ बच्चे की स्थिति में माता एवं पिता का सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण–पत्र (यदि माता या पिता का मृत्यु प्रमाण–पत्र न हो तो संबंधित पंचायत का मुखिया एवं शहरी क्षेत्रों के लिए संबंधित वार्डों के वार्ड पार्षद द्वारा इस आशय का निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

III- लाभुक का जन्म प्रमाण–पत्र। यदि बच्चा पूर्व से ही विद्यालय में नामांकित हैं तो संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा निर्गत इस आशय का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

IV- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता–पिता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत grade-II का प्रमाण–पत्र मान्य होगा।

V- एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित बच्चे एवं एच.आई.वी.(+)/ एड्स से पीड़ित माता/पिता की स्थिति में ए. आर. टी. रिकॉर्ड कार्ड मान्य होगा।

VI- यदि पूर्व से राष्ट्रीयकृत बैंक में संयुक्त खाताधारक हैं तो बैंक पासबुक की छायाप्रति।

VII- अनाथ एवं बेसहारा बच्चे की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (बाल कल्याण समिति) द्वारा जारी आदेश/प्रमाण–पत्र की छायाप्रति।

Scanned by CarbonScanner

2. समेकित बाल संरक्षण योजना

बाल अधिकार, बाल संरक्षण एवं बाल कल्याण के लिए राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना का क्रियान्वयन केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ समन्वयन कर किया जा रहा है। योजना लागू करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार के बीच मेमोरेन्डम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिनांक–23.04.2010 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। योजना के अंतर्गत राज्य एवं जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम घटकों का संचालन किया जा रहा है। किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति के संचालन में होने वाले व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी अवयवों में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है तथा गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से संचालित बाल देखरेख संस्थानों में केन्द्र, राज्य एवं गैर सरकारी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है।

समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत यदि कोई बालक/बालिका (उम्र 0–18 वर्ष) कहीं किसी व्यक्ति को मिलता है, जिसे तत्कालिक सहायता/सुरक्षा की आवश्यकता है, तो ऐसी स्थिति में चाईल्ड लाइन के निःशुल्क नं.–1098 पर कॉल किया जा सकता है। यह नं.–1098 24x7 उपलब्ध है। इस नंबर पर सूचना देने के उपरांत तुरन्त ही सहायता पहुँचती है तथा बच्चे को तत्काल बाल कल्याण समिति के समक्ष उपस्थापित करते हुए उसकी आयु के अनुसार संबंधित गृह में पहुँचा दिया जाता है। साथ ही बच्चे के परिवार में पुनर्वसन हेतु बच्चों की कॉउन्सेलिंग तथा परिवार की खोज के लिए अन्य प्रक्रिया आरंभ हो जाती है।

साथ ही कोई भी व्यक्ति, पुलिस अथवा बच्चा स्वयं भी समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत संचालित बाल/बालिका गृह में गुमशुदा, परिवार विहीन बच्चों को गृह में पहुँचा सकता है अथवा प्रत्येक जिलों में गठित बाल कल्याण समिति में पहुँचा सकता है। बच्चे को उम्र के अनुसार निम्न गृहों में पहुँचाया जा सकता है–

0–6 जिलों में संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान

6–18 बालक, जिलों में संचालित बाल गृह (बालक)

6–18 बालिका, जिलों में संचालित बालिका गृह (बालिका)

इसके अतिरिक्त प्रत्येक जिला में जिला बाल संरक्षण इकाई गठित है। किसी भी तरह के सहयोग हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई के पदाधिकारी/ कर्मियों से संपर्क किया जा सकता है।

राज्य बाल संरक्षण समिति (एस.सी.पी.सी.)

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु राज्य स्तर पर समाज कल्याण विभाग अंतर्गत कार्यरत राज्य बाल संरक्षण समिति (निबंधन संख्या–2143 एवं वर्ष–2011–12) की स्थापना की गयी है। समिति के पदेन अध्यक्ष, प्रधान सचिव, समाज कल्याण विभाग, पदेन उपाध्यक्ष, निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय एवं परियोजना निदेशक, संयुक्त निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय हैं।

राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी (एस.ए.आ.ए.)

आई.सी.पी.एस. योजना अंतर्गत राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण कार्यरत है, जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चे जो अपने माता–पिता/वैधिक अभिभावक से पूर्ण रूप से अलग हो चुके हों, को देशीय एवं अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के माध्यम से पुनः परिवार में एकीकृत कराना है एवं दत्तक ग्रहण सलाहकार समिति को प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) एवं राज्य सरकार के बीच समन्वयन स्थापित करती है एवं राज्य के विभिन्न जिलों में संचालित विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थानों का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण करती है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 166 बच्चों का दत्तक ग्रहण सम्पन्न हो चुका है, जिनमें लड़के–51 एवं लड़कियाँ–115 हैं। दत्तक ग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया www-cara-nic-in पर ऑनलाइन पूर्ण की जाती है।

Scanned by CarbonScanner

जिला बाल संरक्षण इकाई (डी.सी.पी.यू.)

जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन एवं कार्यरत इकाईयों के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यरत है एवं इसके नोडल पदाधिकारी सहायक निदेशक, बाल संरक्षण हैं, जिनकी स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है। जिला बाल संरक्षण इकाई में संस्थागत एवं गैर–संस्थागत कार्यक्रमों के लिए 2 बाल संरक्षण पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है। इसके अतिरिक्त अन्य संविदा आधारित पदों पर नियुक्ति की गयी है। जिला बाल संरक्षण इकाई संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करती है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु संस्थान

बाल गृह (Children's Home):

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–50 के आलोक में 06 से 18 वर्ष आयु समूह के निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुनर्मिलन, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए सरकार द्वारा पटना में दो (बाल गृह, अपना घर एवं बालिका गृह, निशांत) एवं बेगूसराय जिले में एक (बाल गृह, बसेरा) अर्थात् कुल तीन बाल गृहों का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। विशेष आवश्यकता वाले 10 बच्चों के आवासन क्षमता वाले दो–दो विशेष इकाई का संचालन पटना में संचालित बाल एवं बालिका गृह में किया जा रहा है एवं एक विशेष इकाई का संचालन बाल गृह, बेगूसराय में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से राज्य के विभिन्न जिलों में बाल/बालिका गृहों का संचालन किया जा रहा है।

खुला आश्रय (Open Shelter):

शहरी तथा अर्धशहरी क्षेत्रों में देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों विशेषतया भीख मांगते बच्चे, सड़क पर रहने वाले अथवा कामकाजी बच्चे, कूड़ा बीनने वाले बच्चे, छोटे विक्रेताओं, घूम–घूमकर तमाशा दिखाने वाले बच्चे, अनाथ बच्चे, परित्यक्त बच्चे, भागे हुए बच्चे तथा किसी अन्य संवेदी समूह के बच्चे को अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए राज्य में प्रमण्डल स्तर पर 24x7 चलने वाले खुला आश्रय का संचालन विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है।

विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान (Specialized Adoption Agency):

दत्तक ग्रहण कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं 06 वर्ष की आयु से नीचे अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों को आवासन हेतु विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान का संचालन समेकित बाल संरक्षण योजना अन्तर्गत विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान में आवासित बच्चों एवं दत्तक ग्रहण माता–पिता से संबंधित आँकड़े का संधारण CARINGS प्रणाली के माध्यम से किया जाता है।

विधि विवादित बच्चों हेतु संस्थानः

पर्यवेक्षण गृह (Observation Home):

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 के आलोक में वर्तमान में राज्य के 14 जिलों में विधि विवादित किशोरों के मामले की सुनवाई तक आवासित करने हेतु पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है।

विशेष गृह (Special Home):

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 48 के आलोक में विधि विवादित किशोरों का दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु उन्हें विशेष गृह में रखने का प्रावधान है। इस आलोक में राज्य में एक विशेष गृह का संचालन (पटना जिला में) किया जा रहा है।

Scanned by CarbonScanner

सुरक्षित स्थान (Place of Safety)

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 49 के आलोक में सुरक्षित स्थान की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। यहाँ वैसे विधि विवादित किशोरों को आवासित किया जाता है जिनकी आयु 16 वर्ष हो गई है तथा उनके द्वारा किया गया अपराध इतना गंभीर है कि बोर्ड को यह विश्वास है कि उस किशोर को विशेष गृह या पर्यवेक्षण गृह में रखा जाना न तो स्वयं उसके और न ही उस गृह में रहने वाले अन्य किशोरों के हित में है। वर्तमान में शेखपुरा जिला में सुरक्षित स्थान गृह संचालित है।

वैधानिक निकायों का गठन एवं संचालन :

किशोर न्याय परिषद् (जे.जे.बी.):

जिला स्तर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के आलोक में प्रत्येक जिला में एक किशोर न्याय परिषद् गठित है। इसके प्रधान सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी होते हैं एवं 2 सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जिनमें 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है।

बाल कल्याण समिति (सी.डब्लू.सी.):

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के आलोक में राज्य के प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति गठित है। इसमें एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य होते हैं।

अन्य सेवाएँ एवं कार्यक्रम:

चाईल्ड लाईन (1098) सेवा:

चाईल्ड लाईन देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 24x7 आपातकालीन दूरभाष (डायल 1098) पहुँच सेवा है, जो उन्हें आपातकालीन एवं दीर्घ अवधि, देखरेख एवं पुनर्वास सेवाओं से जोड़ती है। वर्तमान में राज्य के 22 जिलों में चाईल्ड लाईन की सेवा संचालित है। चाईल्ड लाईन के संचालन हेतु संचालक संस्था को 100 प्रतिशत अनुदान केन्द्र सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है।

चाईल्ड ट्रैकिंग सिस्टम:

गुमशुदा एवं बरामद बच्चों को उनके परिवार से मिलाने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा एन.आई.सी. के सहयोग से एक वेब पोर्टल (trackthemissingchild.gov.in) विकसित की गई है, जिसपर संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि CCIs, CWC एवं JJB के द्वारा वर्ष 2014–15 से की जा रही है।

एम.आई.एस. सिस्टम:

समेकित बाल संरक्षण योजना के अधीन राज्य बाल संरक्षण समिति अंतर्गत वर्तमान में किशोर न्याय परिषद्, बाल कल्याण समिति, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, खुला आश्रय एवं विशेष दत्तक ग्रहण संस्थान से संबंधित मासिक एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन हेतु एम.आई.एस. सिस्टम विकसित किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रतिवेदन माह अप्रैल, 2016 से ऑनलाईन माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है।

बाल संरक्षण समिति:

बाल संरक्षण समिति की परिकल्पना बाल संरक्षण अधिकारों का उल्लंघन करने वाली समस्याओं पर विचार करने एवं उनका स्थानीय समाधान तलाशने हेतु एक महत्वपूर्ण ईकाई के रूप में की गई है। यह समिति बाल संरक्षण को सुनिश्चित करने की दिशा में कानूनी प्रावधानों एवं योजनाओं को बनाने, उस पर विचार करने एवं कार्यान्वित करने वाली निकाय है। बाल संरक्षण समिति दिशा निर्देश का अनावरण वर्ष 2015–16 में किया गया है। इसके अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में जिला बाल संरक्षण समिति, प्रखंडों, पंचायतों / वार्डों में बाल संरक्षण समिति का गठन किया जा रहा है।

Scanned by CarbonScanner

मुख्यमंत्री बाल संरक्षण छत्र योजना

बच्चे को समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के समय पेश की जाने वाली रिपोर्ट (प्ररूप 17) (नियम 18 (2), 19 (25)– बिहार किशोर न्याय (बालकों की देख–रेख एवं सरंक्षण) नियमावली, 2017)

मामला संख्या: .....

बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया : .....

प्रस्तुत करने की तिथि : ..... प्रस्तुत करने का समय : .....

प्रस्तुत करने का स्थान : .....

क. बच्चे को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का विवरण:

1. व्यक्ति का नाम : .....
2. उम्र : ..... 3. लिंग : .....
4. पता : .....
5. सम्पर्क फोन संख्या : ..... 6. व्यवसाय / पदनाम : .....
7. संगठन / बा.सं.स. / एस.ए.ए. का नाम : .....

ख. प्रस्तुत किया गया बालक

1. नाम (यदि को हो तो) : .....
2. आयु (आयु लिखें / शक्ल सूरत के आधार पर आयु लिखें) : ..... 3. लिंग : .....
4. पहचान चिन्ह : ..... 5. बच्चे की भाषा : .....

ग. माता–पिता / संरक्षक का विवरण (यदि उपलब्ध हो)

1. नाम : .....
2. आयु : .....
3. पता : .....
4. सम्पर्क (फोन) संख्या : ..... 5. व्यवसाय : .....

घ. स्थान जहाँ बच्चा प्राप्त हुआ : .....

च. उस व्यक्ति का विवरण जिसके साथ बच्चा पाया गया :

1. नाम : .....
2. आयु : .....
3. पता : .....
4. सम्पर्क (फोन) संख्या : ..... 5. व्यवसाय : .....

छ. बच्चा किन परिस्थितियों में पाया गया : .....

ज. बच्चे पर किसी भी प्रकार के अपराध / दुराचार का बच्चे द्वारा किया गया दोषारोपण : .....

झ. बच्चे की शारीरिक स्थिति : .....

ट. प्रस्तुति के समय बच्चे का समान : .....

ठ. बच्चे के बा.क.स. / एन.एस.ए. में आने की तिथि और समय : .....

ड. बच्चे के परिवार को खोजने के लिए किए गए तुरंत प्रयास : .....

ढ. क्यों पुलिस को सूचित किया गया है : .....

बच्चे का हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

बच्चे को प्रस्तुति करने वाले के हस्ताक्षर / अंगुठे का निशान

पुलिस: स्थानीय पुलिस / विशेष किशोर अपराध पुलिस इकाई / पदेन बाल कल्याण पुलिस अधिकारी / रेलवे पुलिस / परिवीक्षा अधिकारी / सार्वजनिक सेवा का कोई भी कर्मचारी / समाज कल्याण संगठन / सामाजिक कार्यकर्ता / बा.सं.स. के प्रभावी व्यक्ति / एस.ए.ए. / कोई भी नागरिक / स्वयं बालक अथवा बालिका (जो भी लागू हो, भरा जाय)

Scanned by CarbonScanner